मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १६ सन् २०२४

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०२४

विषय सूची

खण्ड-

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा २० का प्रतिस्थापन.

४. नई धारा १२२क का अंतः स्थापन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १६ सन् २०२४

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०२४

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (क) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२४ है.

(ख) इस अधिनियम के उपबंध ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे, जैसी कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १६ सन् २०१७) मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है की धारा २ में खण्ड (६१) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(६१) "इनपुट सेवा वितरक" से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे पूर्तिकार का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे, जिसके अंतर्गत धारा ९ की उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन कर से दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित हैं या धारा २५ में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के निमित्त कर बीजक प्राप्त करता है और धारा २० में उपबंधित रीति में ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वितरित करने के लिए दायी है;".

धारा २० का प्रतिस्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा २० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:-

इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति.

"२०. (१) माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार का कोई कार्यालय, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे कर बीजक प्राप्त करता है, जिसके अंतर्गत धारा ९ की उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन कर से दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित हैं या धारा २५ में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के निमित्त कर बीजक प्राप्त करता है, से धारा २४ के खंड (viii) के अधीन इनपुट सेवा वितरक के रुप में रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा होगी और वह ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का वितरण करेगा.

(२) इनपुट सेवा वितरक उसके द्वारा प्राप्त बीजकों पर राज्य कर प्रत्यय या प्रभारित एकीकृत कर का, जिसके अंतर्गत धारा ९ की उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन उसी राज्य में रजिस्ट्रीकृत सुभिन्न व्यक्ति द्वारा संदत्त कर उद्ग्रहण के अधीन सेवाओं के संबंध में राज्य या एकीकृत कर के प्रत्यय को उक्त इनपुट सेवा वितरक के रूप में ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे निर्बधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, वितरण करेगा.

(३) राज्य कर के प्रत्यय का राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में एक ऐसा दस्तावेज जारी करके, जिसमें इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतर्विष्ट होगी, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वितरण किया जाएगा;".

नई धारा १२२क का अंतः स्थापन. विशेष प्रक्रियानुसार माल के विनिर्माण में उपयोग की जाने वाली कतिपय मशीनों को रजिस्टर कराने में असफल रहने के लिए शास्ति.

४. मूल अधिनियम की धारा १२२ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतः स्थापित की जाए, अर्थात्:-

"१२२क. (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे माल के विनिर्माण में लगा है, जिसके संबंध में धारा १४८ के अधीन मशीनों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में कोई विशेष प्रक्रिया अधिसूचित की गई है, उक्त विशेष प्रक्रिया के उल्लंघन में कार्य करता है, तो वह किसी ऐसी शास्ति के अतिरिक्त, जो अध्याय १५ के अधीन या इस अध्याय के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदत्त की गई है या संदेय है, प्रत्येक ऐसी मशीन के लिए, जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत नहीं है, एक लाख रुपए की रकम के बराबर किसी शास्ति के लिए दायी होगा.

(२) प्रत्येक ऐसी मशीन, जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत नहीं है, उपधारा (१) के अधीन शास्ति के अतिरिक्त, अभिग्रहण और अधिहरण के लिए दायी होगी :

परंतु ऐसी मशीन का अधिहरण नहीं किया जाएगा, जहां,-

(क) इस प्रकार अधिरोपित शास्ति का संदाय कर दिया गया है; और

(ख) ऐसी मशीन का रजिस्ट्रीकरण, शास्ति के आदेश की संसूचना की प्राप्ति से तीन दिन के भीतर, विशेष प्रक्रिया के अनुसार किया गया है;".

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

कर प्रशासन में स्पष्टता लाने के लिए इनपुट सेवा वितरक की परिभाषा तथा इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति में संशोधन किया जाना आवश्यक है. माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कतिपय मशीनों को विशेष प्रक्रिया के अनुसार रजिस्टर करने में असफलत्ता के लिए शास्ति के लिए विशिष्ट उपबंध भी किया जाना आवश्यक है. इस हेतु मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १६ सन् २०१७) में संशोधन किया जाना अपेक्षित है.

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ में निम्नलिखित संशोधन किये गये हैं, अर्थातः-

१. "इनपुट सेवा वितरक" की परिभाषा में संशोधन करने हेतु मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा २ में संशोधन किया गया है.

२. इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति में संशोधन करने हेतु मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा २० में संशोधन किया गया है.

३. माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कतिपय मशीनों को विशेष प्रक्रिया के अनुसार रजिस्टर करने में असफलता के लिए शास्ति हेतु मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा १२२क का अंतः स्थापन किया गया है.

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : २ जुलाई, २०२४.

जगदीश देवड़ा
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १६ सन् २०१७) से उद्धरण

* * * *

धारा २ (६१) "इनपुट सेवा वितरक" से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे धारा ३१ के अधीन जारी कर बीजक प्राप्त करता है और उक्त कार्यालय के समान स्थायी खाता संख्यांक वाले कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता को उक्त सेवाओं पर संदत्त केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र संबंधी कर के प्रत्यय का वितरण करने के प्रयोजनों के लिए कोई विहित दस्तावेज जारी करता है.

* * * *

२०. (१) इनपुट सेवा वितरक, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कोई ऐसा दस्तावेज जारी करके, जिसमें वितरण किए जाने वाले इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतर्विष्ट हो, राज्य कर के प्रत्यय का राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में वितरण करेगा.

(२) इनपुट सेवा वितरक, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रत्यय का वितरण कर सकेगा,

अर्थात-

(क) प्रत्यय के प्राप्ति कर्ताओं को किसी दस्तावेज के लिए, जिसमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट हों, जो विहित किए जाएं, प्रत्यय का वितरण किया जा सकता है.

(ख) वितरण किए गए प्रत्यय की रकम, वितरण के लिए उपलब्ध प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं होगी.

(ग) किसी प्रत्यय के प्राप्ति कर्ता को मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर प्रत्यय का वितरण केवल उस प्राप्तिकर्ता को ही किया जाएगा.

(घ) एक से अधिक प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का वितरण ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच किया जाएगा, जिनके लिए इनपुट सेवा मानी जा सकती है और ऐसा वितरण सुसंगत अवधि के दौरान ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधार पर, ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं के जिनके लिए ऐसी इनपुट सेवा मानी गई है, जो कि वर्तमान वर्ष में परिचालित है उनका सकल आवर्त, आवर्त का अनुपाततः होगाः

(ड) प्रत्यय के सभी प्राप्तिकर्ताओं के लिये मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्तकर प्रत्यय का ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच वितरण किया जाएगा और ऐसा वितरण, सुसंगत अवधि के दौरान सभी प्राप्तिकर्ताओं के संकलित आवर्त और जो उक्त सुसंगत अवधि के दौरान चालू वर्ष में संक्रियात्मक हैं,

ऐसे प्राप्ति कर्ता के राज्य में के आवर्त या संघराज्य क्षेत्र में के आवर्त के आधार पर अनुपाततः होगा.

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) "सुसंगत अवधि"–

(एक) यदि प्रत्यय के प्राप्ति कर्ता का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में आवर्त है तो उक्त वित्तीय वर्ष होगी.

(दो) यदि प्रत्यय के कुछ या सभी प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघराज्य क्षेत्रों में कोई आवर्त नहीं है तो ऐसा उस मास के पहले का, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, ऐसी अंतिम तिमाही होगी, जिसके लिए सभी प्राप्तिकर्ताओं के ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध है.

(ख) "प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता" पद से उस इनपुट सेवा वितरक के रूप में समान स्थायी खाता संख्यांक वाला माल या सेवाओं या दोनों का प्रदायकर्ता अभिप्रेत है.

(ग) इस अधिनियम के अधीन कराधेय माल और ऐसे माल के, जो कराधेय नहीं है, प्रदाय में लगा हुआ किसी रजिस्ट्रीत व्यक्ति के संबंध में "आवर्त" से संविधान को सातवीं अनुसूची की सूची १ को प्रविष्टि ८४ और उक्त अनुसूची की सूची २ की प्रविष्टि ५१ और प्रविष्टि ५४ के अधीन उद्गृहीत किसी शुल्क या कर की रकम को घटाकर आवर्त का मूल्य अभिप्रेत है.

* * * *

धारा १२२ (१) जहां कोई कराधेय व्यक्ति जो–

(i) किसी बीजक के जारी किए बिना किसी माल या सेवा या दोनों की पूर्ति करता है या ऐसी किसी पूर्ति के लिए गलत या मिथ्या बीजक जारी करता है;

(ii) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में माल या सेवा या दोनों की पूर्ति के बिना बीजक या बिल जारी करता है;

(iii) कर के रूप में किसी रकम का संग्रहण कर उसका सरकार को उस तारीख से जिसको उसका संदाय शोध्य हो जाता है, तीन मास से परे संदाय करने में असफल रहता है;

(iv) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी कर का संग्रहण करता है किंतु उस तारीख से, जिसको उसका संदाय शोध्य हो जाता है, तीन मास से परे की अवधि में संदाय करने में असफल रहता है;

(v) धारा ५१ की उपधारा (१) के उपबंधों के अनुसार कर कटौती में असफल रहता है या उक्त उपधारा के अधीन कटौती की अपेक्षित रकम से कम रकम की कटौती करता है या उपधारा (२) के अधीन सरकार को इस प्रकार कर के रूप में कटौती की गई रकम का संदाय करने में असफल रहता है;

(vi) धारा ५२ की उपधारा (१) के उपबंधों के अनुसार कर के संग्रहण में असफल रहता है या उक्त उपधारा के अधीन संग्रहण की अपेक्षित रकम से कम रकम का संग्रहण करता है या धारा ५२ की उपधारा (३) के अधीन सरकार को इस प्रकार कर के रूप में संगृहीत रकम का संदाय करने में असफल रहता है;

(vii) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में चाहे पूर्णतः या आंशिक रूप से माल या सेवाओं या दोनों की वास्तविक रसीद के बिना इनपुट कर प्रत्यय को लेता या उपभोग करता है;

(viii) इस अधिनियम के अधीन कपटपूर्ण तरीके से कर का प्रतिदाय प्राप्त करता है;

(ix) धारा २० या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करता है या बांटता है;

(x) इस अधिनियम के अधीन शोध्य कर का अपवंचन करने के आशय से वित्तीय अभिलेखों को झुठलाता है या बदलता है या फर्जी लेखाओं या दस्तावेजों को या किसी झूठी सूचना या विवरणी को प्रस्तुत करता है;

(xi) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी तो है लेकिन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने में असफल रहता है;

(xii) रजिस्ट्रीकरण का आवेदन करते समय या उसके बाद रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियों के संबंध में गलत सूचना देता है;

(xiii) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से किसी अधिकारी को बाधित करता है या रोकता है;

(xiv) इस निमित्त यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के कवर के बिना किन्हीं कराधेय मालों का परिवहन करता है;

(xv) अपने आवर्त को छिपाता है जिसके परिणामस्वरूप इस अधिनियम के अधीन कर का अपवंचन होता है;

(xvi) इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में लेखाबहियों और अन्य दस्तावेजों को तैयार करने, बनाए रखने या प्रतिधारित' करने में असफल रहता है;

(xvii) इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में किसी अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असफल रहता है या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान झूठी सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत करता है;

(xviii) ऐसे किसी माल की पूर्ति, परिवहन या भंडारण करता है जिसके लिए उसके पास विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि ये इस अधिनियम के अधीन जब्ती के लिए दायी हैं;

(xix) किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण संख्यांक का प्रयोग करके किसी बीजक या दस्तावेज को जारी करता है;

(xx) किसी सारवान साक्ष्य या दस्तावेज से छेड़छाड़ करता है या उसे नष्ट करता है;

(xxi) किसी ऐसे माल का व्ययन करता है या उससे छेड़छाड़ करता है जिसे इस अधिनियम के अधीन विरुद्ध, जब्त या कुर्क किया गया है;

तो वह दस हजार रुपए या अपवंचित कर या धारा ५१ के अधीन कटौत्ती न किए गए कर या कम कटौती किए गए कर या कटौती किए गए परंतु सरकार को संदत्त नहीं किए गए कर या धारा ५२ के अधीन संगृहीत नहीं किए गए कर या कम संगृहीत या संगृहीत परंतु सरकार को संदत्त नहीं किए गए कर या इनपुट कर प्रत्यय पर लिए गए या अनियमित रूप से वितरित या आगे किसी को दिए गए या कपटपूर्ण ढंग से दावा किए गए प्रतिदाय, इनमें जो भी उच्चतर हो, के समतुल्य रकम का शास्ति के रूप में संदाय करने के लिए दायी होगा.

(१क) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (१) के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (vii) या खंड (ix) के अंतर्गत आने वाले संव्यवहार के फायदे का प्रतिधारण करता है और जिसके अनुरोध पर ऐसा संव्यवहार किया जाता है, अपवंचित कर या उपभोग किए गए या संक्रांत इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम की शास्ति का दायी होगा.

(१ख) कोई इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, जो–

(i) इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त व्यक्ति से भिन्न किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति ऐसी पूर्ति करने के लिए अनुज्ञात करता है;

(ii) इसके माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतर्राज्यिक पूर्ति अनुज्ञात करता है, जो ऐसी अंतर्राज्यिक पूर्ति करने के लिए पात्र नहीं है; या

(iii) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई माल की किसी जावक पूर्ति के धारा ५२ की उपधारा (४) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में सही ब्यौरे प्रस्तुत करने में असफल रहता है,

धारा १० के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न, यदि ऐसी पूर्ति किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गई होती, तो दस हजार रूपए या अंतर्वलित कर की रकम के समतुल्य रकम की शास्ति का संदाय करने का दायी होगा, जो भी उच्चतर हो.

(२) ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो किसी माल या सेवाओं या दोनों को पूर्ति करता है, जिन पर उसने कोई कर नहीं दिया है या कम संदत्त किया है या त्रुटिपूर्ण ढंग से उसका प्रतिदाय लिया या जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत रूप से लिया है या प्रयोग किया है, –

(क) कपट के कारण से भिन्न किसी कारण से या जानबूझकर किए गए किसी मिथ्या कथन या कर अपवंचन के लिए तथ्यों को छिपाता है, तो वह दस हजार रुपए या ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर का दस प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो, की शास्ति के लिए दायी होगा;

(ख) कपट के उद्देश्य से या किए गए किसी मिथ्या कथन के कारण से या कर अपवंचन के लिए तथ्यों को जानबूझकर छिपाता है तो वह दस हजार रुपए या ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर का दस प्रतिशत की शास्ति के लिए, जो भी उच्चतर हो, दायी होगा.

(3) कोई व्यक्ति जो–

(क) उपधारा (१) के खंड (i) से खंड (II) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी के लिए सहायता या दुष्प्रेरण करता है;

(ख) किसी ऐसे माल का कब्जा प्राप्त करता है या उसके परिवहन, उसे हटाने, जमा करने, रखने, छिपाने, उनकी पूर्ति करने या विक्रय करने से या किसी अन्य रीति में किसी प्रकार अपने को संबद्ध करता है, जिसके विषय में वह यह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन जब्ती के लिए दायी हैं;

(ग) किसी ऐसे माल को प्राप्त करता है या उसकी पूर्ति से किसी प्रकार संबद्ध रहता है या किसी अन्य रीति में सेवा की कोई पूर्ति करता है जिसके लिए वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन में है;

(घ) किसी जांच में साक्ष्य या दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए हाजिरी हेतु समन के जारी होने पर राज्य कर के अधिकारी के समक्ष हाजिर होने में असफल रहता है;

(ड.) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में बीजक को जारी करने में असफल रहता है या अपनी लेखा बहियों में बीजक के लिए हिसाब देने में असमर्थ रहता है,

ऐसी शास्ति के लिये दायी होगा जो पच्चीस हजार रुपये तक हो सकेगी.

* * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १७ सन् २०२४

मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक, २०२४

विषय-सूची

खण्ड :

अध्याय-एक
प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

२. परिभाषाएं.

अध्याय-दो
नलकूपों या बोरवेलों को ड्रिल करने के लिए भूमिका, उत्तरदायित्व तथा प्रक्रियाएं

३. ड्रिलिंग अभिकरण का उत्तरदायित्व.

४. भूमि स्वामी/ड्रिलिंग अभिकरण का पुरानी / गैर क्रियाशील / असफल / अपूर्ण नलकूप या बोरवेल का उत्तरदायित्व.

५. सक्षम प्राधिकारी की शक्ति.

अध्याय-तीन
खुले बोरवेल या नलकूप के विरूद्ध शिकायतों के समाधान के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

६. किसी सरकारी पदधारी द्वारा कोई कार्रवाई करने की शक्ति.

७. खुले बोरवेल या नलकूप पर कैप लगाया जाना.

८. ड्रिलिंग अभिकरण या भूमि-स्वामी के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन का रजिस्ट्रीकरण.

अध्याय-चार
अपराध तथा शास्तियां

९. अपराध तथा शास्तियां.

अध्याय-पांच
अपील

१०. अपील.

अध्याय-छह
प्रकीर्ण उपबंध

११. संक्रमण कालीन उपबंध.

१२. नियम बनाने की शक्ति.

१३. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १७ सन् २०२४

मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक, २०२४

खुले बोरवेल या नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली घटनाओं या जानलेवा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, यदि बोरवेल/नलकूप के ड्रिलिंग के समय ड्रिलिंग अभिकरण द्वारा समुचित सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए जाते हैं तो ड्रिलिंग अभिकरण के विरूद्ध विचारित कार्रवाई करने के साथ ही, लापरवाह ड्रिलिंग अभिकरण और भूमि स्वामी के विरूद्ध दाण्डिक कार्रवाई करने तथा उससे संसक्त तथा उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय-एक
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा अधिनियम, २०२४ है.

(२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.

(३) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

२. (१) इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में यथाविहित सक्षम प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित व्यक्ति;

(ख) "ड्रिलिंग अभिकरण" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति या प्राधिकृत व्यक्ति या कोई फर्म (जिसमें शासकीय या अर्ध-शासकीय अभिकरण सम्मिलित हैं), जो मशीनी रूप में या अन्य साधनों से बोरवेल/नलकूप ड्रिलिंग के काम में लगा हुआ है;

(ग) "भूमि स्वामी" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा १५८ में भूमि स्वामी के रूप में वर्णित कोई भूमि स्वामी;

(घ) "स्थानीय शासन" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) के अधीन गठित शहरी स्थानीय निकाय (यू एल बी), मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) के अधीन गठित नगर पालिका परिषद्, नगर परिषद् तथा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) के अधीन गठित पंचायती राज संस्थाएं (पी आर आई);

(ङ) "पुरूष" से अभिप्रेत है, किसी भी आयु का पुरूष मानव तथा "महिला" से अभिप्रेत है, किसी भी आयु की महिला मानव;

(च) "खुला नलकूप या बोरवेल" से अभिप्रेत है, ऐसा नलकूप या बोरवेल जो इस अधिनियम की अधीन बनाए गए नियमों में यथा विहित ढका हुआ नहीं है या सील नहीं किया गया है तथा खुला पड़ा है, जिससे जानलेवा दुर्घटना का डर है;

(छ) "व्यक्ति" में कोई कंपनी या संगम या वैयक्तिक निकाय सम्मिलित है, चाहे निगमित हो अथवा नहीं;

(ज) "लोक उपताप" संहिता की धारा २६८ में यथा परिभाषित;

(झ) "नियम" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम;

(ञ) "संहिता" से अभिप्रेत है, भारतीय न्याय संहिता (२०२३ का ४५)

(ट) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ठ) "नलकूप या बोरवेल" से अभिप्रेत है, जमीन में जल के लिए मशीन या अन्य माध्यम से आवरण पाइप के साथ या उसके बिना खोदा गया संकरा और गहरा कुआं जो भूमि के अंदर से जल निकालने या अन्य प्रयोजन के लिए हो;

(ड) "पीड़ित" से अभिप्रेत है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ (२०२३ का ४६) की धारा २ की उपधारा (म) में यथा परिभाषित पीड़ित व्यक्ति;

(२) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हुए हैं परन्तु भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (२०२३ का ४५), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ (२०२३ का ४६), मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९), या सामान्य खण्ड अधिनियम, १९५७ (१९५८ का ३) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो कि क्रमशः उन अधिनियमों में उन्हें समनुदेशित किए गए हैं.

अध्याय-दो

नलकूपों या बोरवेलों को ड्रिल करने के लिए भूमिका, उत्तरदायित्व तथा प्रक्रियाएं

ड्रिलिंग अभिकरण के उत्तरदायित्व.

३. (१) ड्रिलिंग अभिकरण, कोई बोरवेल नलकूप की ड्रिलिंग के पूर्व नियमों में यथा विहित वेब पोर्टल पर डाटा भरने के पश्चात् बोरवेल/नलकूप ड्रिल करने के लिए अनुज्ञा प्राप्त करेगा.

(२) ड्रिलिंग अभिकरण, ड्रिलिंग स्थल पर ड्रिलिंग अभिकरण और भूमि स्वामी के बारे में पूर्ण ब्यौरे प्रदर्शित करेगा और ड्रिलिंग के दौरान और उसके पूर्ण होने के बाद नियमों में यथा विहित सुरक्षात्मक उपाय करेगा.

भूमि स्वामी / ड्रिलिंग अभिकरण का पुरानी / गैर–क्रियाशील / असफल / अपूर्ण बोरवेल / नलकूप के लिए उत्तरदायित्व.

४. (१) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक को कोई निष्क्रिय बोरवेल/नलकूप, इस अधिनियम के लागू होने के दिनांक से ३ मास की कालावधि के भीतर उस भूमि स्वामी द्वारा जिसकी भूमि पर बोरवेल/नलकूप अवस्थित है, बंद कर दी जाएगी.

(२) कोई चालू बोरवेल/नलकूप जिसने काम करना बंद कर दिया है, भूमि स्वामी द्वारा नियमों में यथा विहित प्रक्रिया अनुसार कैप कर दी जाएगी.

(३) बोरवेल/नलकूप के,-

(एक) असफल होने; या

(दो) अपूर्ण रहने

की दशा में ड्रिलिंग अभिकरण नियमों में विहित किए गए अनुसार बोरवेल/नलकूप को कैप कर देगा/बंद कर देगा.

(४) धारा ४(१), (२) तथा (३) के किसी उल्लंघन की दशा में अधिनियम की धारा ९ में विहित उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी.

सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां.

५. सक्षम प्राधिकारी के पास निम्नलिखित शक्तियां होगी,-

(एक) बोरवेल/नलकूप के क्षेत्र में प्रवेश करना;

(दो) दुर्घटनाओं से रोकथाम के उपाय करना;

(तीन) खुले बोरवेल/नलकूप के स्थल पर किए गए सुरक्षा उपबंधों की जांच करना;

(चार) लापरवाही के कारण किसी दुर्घटना/घटना की दशा में श्रमिक और मशीनरी लगाना.

अध्याय-तीन

खुले बोरवेल या नलकूप के विरूद्ध शिकायत के समाधान के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

शासकीय पदधारी द्वारा कार्रवाई करने की शक्ति.

६. (१) कोई शासकीय पदधारी खुले बोरवेल या नलकूप के संबंध में स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट या शिकायत प्राप्त होने पर संज्ञान ले सकेगा.

(२) प्रतिवेदन और/या शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित शासकीय पदधारी, नियमों में विहित की गई रीति में उस प्रादेशिक क्षेत्र, जिसमें बोरवेल/नलकूप स्थित है, के सक्षम प्राधिकारी को मामले की रिपोर्ट देगा.

(३) यदि शिकायत सत्य पाई जाती है तो शिकायतकर्ता, नियमों में यथा विहित, पुरस्कार के लिए पात्र होगा.

खुले बोरवेल या नलकूप पर कैप लगाया जाना.

७. भूमि स्वामी या ड्रिलिंग अभिकरण के यथास्थिति धारा ४ या सक्षम प्राधिकारी के निदेशों के अनुसार कार्य करने में असफल रहने की दशा में खुले बोरवेल/नलकूप को कैप करने में उपगत व्यय, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ के अधीन भू-राजस्व के बकाया की वसूली के उपबंधों के अनुसार वसूला जाएगा.

ड्रिलिंग अभिकरण या भूमि स्वामी के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन का रजिस्ट्रीकरण.

८. इस अधिनियम की धारा ४ में यथा उल्लिखित, ड्रिलिंग अभिकरण या भूमि स्वामी की ओर से की गई उपेक्षा के कारण कोई दुर्घटना हो जाने की दशा में, ऐसे ड्रिलिंग अभिकरण या भूमि स्वामी के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ आई आर) रजिस्ट्रीकृत की जाएगी.

अध्याय-चार

अपराध तथा शास्तियां

अपराध तथा शास्तियां.

९. (१) जो कोई भी इस अधिनियम की धारा ४ में उल्लिखित किन्हीं उपबंध का उल्लंघन करता है, तब सक्षम प्राधिकारी संबंधित ड्रिलिंग अभिकरण/भूमि स्वामी को सुरक्षात्मक उपाय करने के निदेश देते हुए नोटिस जारी करेगा और ड्रिलिंग अभिकरण भूमि स्वामी के निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में सक्षम प्राधिकारी, प्रथम अपराध के लिए रूपए १०००० तक (रूपए दस हजार केवल) की और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए रूपए २५००० तक (रूपए पच्चीस हजार केवल) का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा.

(२) जो कोई भी इस अधिनियम की धारा ४ में उल्लिखित किन्हीं उपबंधों का उल्लघंन करता है जिससे कोई दुर्घटना या मृत्यु हो जाती है, तब वह दोषसिद्धि पर संहिता की धारा १००, १०५, १०६ तथा ११० के अधीन, सुंसगत उपबंधों के अनुसार दण्डित किया जाएगा.

(३) दुर्घटना के दौरान किसी व्यक्ति के बचाव के लिए उपगत व्यय, ड्रिलिंग अभिकरण या भूमि स्वामी से नियमों में विहित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, १९५९ के अधीन भू राजस्व की बकाया की वसूली के उपबंधों के अनुसार, वसूल किया जाएगा.

अध्याय-पांच

अपील

अपील.

१०. इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ३० दिन की कालावधि के भीतर नियमों में यथा विहित अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील संस्थित कर सकेगा.

अध्याय-छह

प्रकीर्ण उपबंध

संक्रमण कालीन उपबंध.

११. बोरवेल और नलकूप की ड्रिलिंग, संचालन तथा अनुरक्षण के उपबंधों के संबंध में राज्य सरकार के स्थानीय निकाय या पंचायत विभाग द्वारा बनाई गई उपविधियां इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने तक प्रवर्तन में रहेंगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियम नहीं बना लिए जाते.

नियम बनाने की शक्ति.

१२. सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने हेतु नियम, विनियम और उपविधियां बना सकेगी.

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

१३. इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जैसा कि कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

खुले या अपूरित ट्यूबवेल या बोरवेल में बच्चों के गिरने की जानलेवा दुर्घटनाओं को रोकने हेतु, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) क्रमांक ३६/२००६ में पारित अपने निर्णय दिनांक ११-०२-२०१० तथा ०६-०८-२०१० में कहा है कि विभिन्न विभाग/संगठन/व्यक्ति ट्यूबवेल या बोरवेल खोदते हैं. उन खोदे गए बोरवेल या ट्यूबवेल में से कुछ, ड्रिलिंग अभिकरणों द्वारा खुले या अपूरित छोड़ दिए जाते हैं, ऐसी घटनाओं और जानलेवा दुर्घटनाओं को रोका जाना चाहिए. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घटनाओं और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. उसी प्रकार के मामले में, स्वःप्रेरणा से रिट याचिका क्रमांक डब्लू पी. १२७२५/२०२३ माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश में प्रस्तुत की गई थी, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने अंतरिम आदेश दिनांक २५-०४-२०२४ में यह निर्दिष्ट किया था कि राज्य में ऐसी जानलेवा दुर्घटनाओं को रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक विधि अधिनियमित की जानी चाहिए.

२. राज्य में ऐसी जानलेवा दुर्घटनाओं को रोकने हेतु, पोर्टल पर बोरवेल या नलकूप की ड्रिलिंग के पूर्व ड्रिलिंग अभिकरण का रजिस्ट्रेशन प्रस्तावित है. यह भी प्रस्तावित है कि ड्रिलिंग अभिकरण तथा भूमि स्वामी नलकूप या बोरवेल ड्रिल किए जाने के दौरान तथा उसके पश्चात् सुरक्षात्मक उपाय करेंगे. बोरवेल या नलकूप को खुला या अपूरित रखने पर भूमि स्वामी या ड्रिलिंग अभिकरण की ओर से की गई अवज्ञा या उपेक्षा के लिए इस विधेयक में विभिन्न धाराओं के अधीन जुर्माने तथा शास्ति के उपबंध भी प्रस्तावित किए गए हैं और ऐसी उपेक्षा के कारण यदि कोई दुर्घटना होती है तो भूमि स्वामी और ड्रिलिंग अभिकरण उत्तरदायी होंगे. खोदे गए अपूरित या सील न किए गए बोरवेल या नलकूप के मामले में भूमि स्वामियों या ड्रिलिंग अभिकरण की उपेक्षा की स्वप्ररेणा से जांच करने की शक्ति भी शासकीय पदधारी में निहित की गई है.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख २ जुलाई, २०२४

कैलाश विजयवर्गीय
भारसाधक सदस्य

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड १२ द्वारा राज्य शासन को प्रस्तावित विधेयक के खण्ड १२ द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने संबंधी विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन राज्य शासन को किया जा रहा है.

उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का होगा.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.